PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Bhaskar, Delhi
Sun, 25 Dec 2016, Page 1
Width: 8.25 cms, Height: 7.28 cms, a4, Ref: 37.2016-12-25.18

बच्चे को पढ़ने नहीं भेजते तो निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे : एनसीपीसीआर

एजेंसी | नई दिल्ली

बाल अधिकारों की शीर्ष संस्था ने राज्यों से की अपील

शीर्ष निकाय एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों से अपील की है कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में उन उम्मीदवारों को अपात्र घोषित कर दें जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा की गई सिफारिश के मुताबिक, किसी उम्मीदवार को अपने बच्चे के स्कूल से इस बाबत एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है और नियमित तौर पर उपस्थित रहता है। एनसीपीसीआर के सदस्य (आरटीई एवं शिक्षा) प्रयांक कानूनगो ने कहा कि उन उम्मीदवारों के लिए है जिनके बच्चे 6-14 वर्ष की आयु के हैं।